न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 92 / 2017

प्रविष्टि दिनांक 18.09.2017

अर्जुनलाल पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर निवासी उंटीटाना तहसील व जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राजस्थान।

रेस्पो0

अपील विरूद आदेश दिनांक 01.09.2017 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक –अपीलान्ट
2. प्रर्वतन निरीक्षक पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांक **24.01.2018**

अपील अपीलान्ट सारांश में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 01.09.2017 से अजुर्नलाल गुर्जर उचित मूल्य दुकानदार खजूरिया का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए प्राधिकार पत्र को निलम्बित किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

हमने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट ने अपने प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन नही किया है। अपीलांट पर आरोप लगाया है कि दिनांक 24.08.2017 को 100 कट्टे गेहूॅ के कालाबाजारी के लिये ले जा रहा था जबकि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम खजूरिया व उंटीटाना दोनो गांवो मे राशन सामग्री वितरण करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। दिनांक 24.08.2017 को अपीलांट की दुकान पर 180 कट्टे गेहूॅ लाये गये जिनमे से 80 कट्टे गेहूॅ ग्राम खजूरिया की दुकान पर उतार दिये तथा 100 कट्टे गेहूॅ ग्राम उंटीटाना मे उतारने के लिये ट्रक को रवाना करने पर ग्राम बमोर के पास ही ग्रामवासियों ने ट्रक को रूकवा लिया। रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 01.09.2017 को प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिनांक 25.09.2017 को कार्यालय मे आकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया तथा अपीलांट को बिना सुने ही प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया । अपीलांट द्वारा राशन सामग्री की कोई कालाबाजारी नही की गई हैं। 100 कट्टे गेहूॅ की कालाबाजारी का आरोप अपीलांट पर लगाया है वह बेबुनियाद है। 100 कट्टे गेहूॅ ग्राम खजूरिया से ग्राम उंटीटाना मे जाने वाले रास्ते मे परिवहन करते हुये मिले थे ना कि किसी व्यापारी या किसी व्यापारी के गोदाम पर या किसी निजी व्यक्ति के मकान पर मिले। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी आदेश की शर्तो का उल्लधंन नही किया है। इस संबंध मे न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2018

जिला कलेक्टर टोंक

से एफ.आर. स्वीकार की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 25.08.2017 को ग्राम खजूरिया के उचित मूल्य दुकानदार की शिकायत मिलने पर ग्राम खजूरिया से 1 किलो मीटर दूरी पर ग्राम बमोर की तरफ ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574 मे भारतीय खाद्य निगम के छाप वाले 100 कट्टे पाये गये। दिनांक 24.08.2017 को 80 कट्टे ग्राम खजूरिया की दुकान पर उतारा तथा 100 कट्टे गेहूँ को कालाबाजारी करने हेतु ले जा रहा था। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया की राशन डीलर हमे खजूरिया से ही राशन सामग्री का वितरण करता था लेकिन 4–5 माह से ग्राम उंटीटाना से राशन सामग्री का वितरण कर रहा है। श्री गुर्जर ने प्राधिकार पत्र, आदेश प्रमाण पत्र व नक्शा प्रस्तुत किया गया जिन पर प्राधिकृत गोदाम अशोक कुमार गुर्जर का मकान अंकित था। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अपीलांट के विरूद्व इस संबंध मे पुलिस थाना सदर टोंक मे एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई है। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम खजूरिया के उचित मूल्य दुकान पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहुँचाये जाने वाले गेहूँ को रास्ते मे कालाबाजारी करने के उदेश्य से लेकर जाने की शिकायत मिलने पर दोराने जांच ग्राम खजूरिया से 1 किलो मीटर दूरी पर ग्राम बमोर की तरफ ट्रक संख्या आर.जे. 26 जी.ए. 0574 मे भारतीय खाद्य निगम के छाप वाले 100 कट्टे पाये गये। अभिभाषक अपीलांट ने दोराने बहस कथन किया कि अपीलांट को रेस्पोडेण्ट द्वारा ग्राम खजूरिया व उंटीटाना मे राशन सामग्री वितरण के लिए प्राधिकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा प्राप्त किये गये 180 कट्टे गेहूँ मे से 80 कट्टे ग्राम खजूरिया की दुकान पर व 100 कट्टे गेहूँ ग्राम उंटीटाना की दुकान पर उपभौक्ताओ को वितरण हेतु ले जा रहा था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस संबंध मे प्रस्तुत नकल आदेश दिनांक 08.01.2018 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा पुलिस थाना सदर टोंक द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि 100 कट्टे गेहूँ कालाबाजारी की नियत से न लेजाकर ग्राम उंटीटाना के उपभौक्ताओ को वितरण करने हेतु ले जा रहा था। इस प्रकार उक्त आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीतं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 01.09.2017 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते